[Shri Dinen Bhattacharya]

during the budget discussion on the last occasion, gave a solemn assurance. How do they propose to solve the residuary problems after the closure of the branch office at Calcutta?

Mr. Speaker: He had already a supplementary prepared perhaps. Otherwise, the whole statement gives the answer to this very question.

Shri H. P. Chatterjee (Nabadwip): The residuary problem has not been solved. The Minister assured previously in solemn words that the residuary problem will be looked after by the Centre. It should not be, therefore, transferred to the West Bengal Government. They have not agreed to it, so far as my information goes. So, when there is still the residuary problem, when there is still so much suffering amongst the refugees, if it is admitted, why this closure of the branch in Calcutta?

Mr. Speaker: He has given a very detailed reply. The answer has been given that the Central Government has not abdicated its responsibility. It will continue to take those steps.

Shri H. P. Chatterjee: He assured previously that the Central Government will look after it. Now he says, the West Bengal Government will look after this. That is not possible.

The Minister of Works, Housing and Supply (Shri Mehr Chand Khanna): We have given two assurances. One I have given personally to the Chief Minister of West Bengal in writing that the continuity of the work shall be maintained and the policy that has been followed up till now shall be followed. The second assurance that we have given to the House is that as far as the partially rehabilitated problem is concerned, that shall be looked into and shall be dealt with.

Mr. Speaker: By the Centre itself?

Shri Mehr Chand Khanna: By the Centre itself and by the same Minister too.

CRACKER EXPLOSION NEAR RED FORT, DELHI

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्षम होदय , मैं नियम १९७ के अन्तर्गत गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :—

"लाल किले के पास हुआ विस्फोट"

The Minister of Home Affairs (Shri Lal Bahadur Shastri): A cracker exploded near the Lajpat Rai Market, P. S. Kotwali, at about 12.20 A.M. on the night between the 14th and the 15th August, 1962. Five persons received superficial and minor injuries.

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय तो हिन्दी जानते हैं । वे हिन्दी में अपना वक्तव्य क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उन को कह दूंगा कि बाद में इस को हिन्दी में भी समझा दें । माननीय सदस्य को किसी वक्त तो हौसला रखना चाहिए ।

Shri Lal Bahadur Shastri: The explosion was caused by a throw-down cracker containing some explosive mixture. The police staff present near the spot rounded up seven persons for invesigation. Three of them were later on taken into formal custody on account of their suspicious conduct at the time of explosion. Their houses were searched also. The Kotwali Police has registered a case under section 6 of the Indian Explosives Act. The Special Staff which has been set up recently for the investigation of explosion cases has been entrusted with

the investigation of this case also. The Inspector of Explosives has been summoned from Agra to examine the remnants of the cracker and give his expert opinion on the subject.

१४ और १५ अगस्त की रात को १२ बज कर २० मिनट पर लाजपतराय मार्केट के निकट कोतवाली थाने के पास एक क्रेकर फटा। ५ आदमियों को बहुत मामूली सी चोट आई। कोई एक चीज, एक क्रैकर जिन में कुछ विस्फोटक पदार्थ थे वह फटा। पुलिस जो उस मौके पर मौजूद थी उसने ७ आदमियों को वहीं गिरफ्तार किया। उन में से तीन को हवालात में बंद कर लिया गया क्योंकि उनके चाल-चलन और उनके जवाबों में बहुत शक पाया गया। उन के मकान की भी तलाशी ली गई। इन तीन के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने इंडियन एक्सप्लोसिव्स् ऐक्ट की धारा ६ के मातहत कार्यवाही की है। जो विशेष स्टाफ़ इस काम के लिए मुकर्रर किया गया है वह इस की जांच पड़ताल कर रहा है और उस के यह काम सुपुर्द किया गया है। विस्फोटक पदार्थों की जांच के जो इंस्पैक्टर हैं वह आगरे से बुलाये गये हैं और उन को जो सामान मिला है जांच के लिए दिया जायेगा और उन की जो ऐक्सपर्ट राय है वह मालूम की जायेगी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : गृह मंत्री जी को ध्यान होगा कि फ़तेहपुरी की मस्जिद और लाल कुंआ पर जो विस्फोट हुए थे, उन के सम्बन्ध में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने सदन को कहा था कि ऐसा कुछ संदेह अवश्य होता है कि इस में कुछ विदेशी तत्वों का भी हाथ है। अभी कल-परसों एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह भी कहा था कि हम विदेशी तत्वों की जानकारी लेने से पहले देशी तत्वों की जानकारी लेना चाहते हैं। लेकिन अभी कल-परसों लाल किले के पास जो घटना हुई है, उस समय स्वाधीनता-दिवस के सम्बन्ध में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी कि जिन लोगों के द्वारा यह घटना हुई, उनको बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा सम्भव नहीं है कि इस प्रकार की घटनाओं में पुलिस का भी कुछ हाथ हो। क्या सरकार ने इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है कि पुलिस में इस प्रकार के तत्व काम कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : तहकीकात करने के बाद इस का पता चलेगा।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह बात तो मेरी समझ में नहीं आती कि पुलिस इस में क्यों दिलचस्पी लेगी और वह ऐसी कार्यवाही क्यों करेगी, क्योंकि एक तो वैसे ही इनकी शिकायतें काफ़ी हैं और जब ऐसी कोई घटना घटती है, तो उनकी समालोचना होती है। हां, अगर पुलिस खुद ही चाहे कि उस की निन्दा हो, तो वह ऐसी कार्यवाही करेगी। सच बात तो यह है कि यों तो जांच पड़ताल के बाद इस का पता चलेगा, लेकिन इस बारे में मुझे पूरा शक है कि ऐसे कुछ लोगों के द्वारा, जो गवर्नमेंट के विरोधी हैं, जब हमारा कोई बड़ा उत्सव होने वाला होता है या हो जाता है, तब यह कार्यवाही की जाती है — कुछ लोग जान बूझकर ऐसी शरारत करते हैं या जब कोई साम्प्रदायिक बात होती है, उस मौके पर कुछ साम्प्रदायिक मत के लोग इस कार्यवाही को करते हैं। यह मेरी जैनरल, आम राय है। जांच के बाद क्या बात निकलती है, वह बात और है।

मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि मैं ने सदन को कहा था कि अभी चार पांच ही रोज हुए कि जो स्पेशल स्टाफ, सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस, बाहर से बुलाये गये, उन्होंने कुछ गिरफ्तारियां कीं और जहां क्रैकर्ज बनते थे, वहां से उन लोगों को गिरफ्तार किया है। हमें आशा है कि उसकी वजह से

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

हमें उस मामले की काफ़ी जानकारी मिल सकेगी ।

दूसरी बात यह है कि इस मौके पर भी लोग गिरफतार किये गये । जो लोग उस ऋैकर को छोड़ रहे थे । वे लोग उसी वक्त पकड़े गए थे । सात पकड़े गए थे, जिन में से तीन को खास तौर पर जांच - पड़ताल के लिये रखा गया है । मैं तो समझता कि इस बारे में आवश्यक कार्यवाही हो रही है ।

श्री बागड़ी (हिसार) : दिल्ली में जो कि भारत का दिल है, बार- बार ये विस्फोट होते हैं । जब इन के बारे में कालिंग अटेन्शन नोटिस इस सदन में आते हैं, तो एक ही बात कह दी जाती है कि जांच पड़ताल होगी । इसके अलावा कभी यह कहा जाता है कि इस में विदेशियों का हाथ है और कभी यह कह दिया जाता है कि देश में जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, उन का हाथ है । लेकिन बाद में उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होता है । क्या गृह मंत्री साहब इस पर रोशनी डालेंगे और इस बात को दिलेरी के साथ कुबूल करेंगे कि दिल्ली में जितने भी विस्फोट हुए हैं, पुलिस उन की तह तक जाने में नाकामयाब हुई है ? क्या गृह-मंत्री साहब का विचार उस नाकामयाबी को कामयाबी में बदलने के लिए कोई और अहम तरीके इस्तेमाल करने का है?

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब तो दे दिया गया है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जवाब तो मैंने दे दिया है और उसको दोहराने की जरूरत नहीं है । माननीय सदस्य दूसरे देशों का जिक्र कर रहे हैं । मैं एक्सप्लोज़न्ज़ के सिलसिले में युनाइटिड स्टेट्स और इंग्लैंड की भी कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था । जैसे हमारे यहां कनाट प्लेस है, बिल्कुल ऐसी जगहों में वहां लगातार दस पन्द्रह बरस से एक्सप्लोज़न हो रहे हैं और वे उसको नहीं पकड़ पाते हैं । उसकी वजह से मैं यह नहीं कहता कि हमने इस बारे में कार्यवाही नहीं करनी है, लेकिन, जैसा कि मैंने सदन को बताया, यह चीज़ ऐसी है कि चन्द लोग आते हैं, कहीं कोई पोटली रख देते हैं—रात के वक्त रख जाते हैं—और फिर वे चले जाते हैं । अगर कोई दूसरा आदमी उसको उठा लेता है या उसको छू लेता है, तो उस पोटली में रखी चीज़ फट जाती है । सच बात यह है कि उसमें इन्टेलिजेंस की जरूरत है । यानी मौके पर पकड़-धकड़ की बात तो है, लेकिन अगर सी० आई० डी० ठीक तरीके से जांच करे—जो कि हम कर रहे हैं—तो मेरे ख्याल में उससे ज्यादा दूसरी कोई बात नहीं हो सकती ।

मैं एक और निवेदन कर देना चाहता हूं । पार्लियामेंट ज़रूर हमसे सवाल करे और बयान मांगें, लेकिन माननीय सदस्य कभी कभी शरारत करने वालों को प्रोत्साहन दे देते हैं, जब वे ऐसी घटनाओं की बहुत ज्यादा नोटिस लेते हैं । अगर बड़ी बात हो, तो ठीक है, लेकिन जो लोग छोटी शरारत करते हैं, उनका तो पच्चीस फी सदी काम हो गया, अगर ज़ोरों से उसके बारे मे अख़बारों में छप जाये और पार्लियामेंट के सदस्य उस ओर ध्यान दें । उतनी तो उनकी शरारत बन आती है । लेकिन फिर भी मैं यह नहीं कहता कि माननीय सदस्य इसके बारे में सवाल न पूछें । लेकिन मुझे इतमीनान है कि हम इस बारे में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री बागड़ी : मैं ने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें यह सजेस्शन दिया था कि कैसे ये विस्फोट पकड़े जा सकते हैं । गृह मंत्री साहब को भी वह मिली होगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । दूसरा सवाल पूछने की इजाजत नहीं है ।

12.25 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

INDIAN TELEGRAPH (EIGHTH AMENDMENT) RULES

The Minister of Transport and Communications (Shri Jagjivan Ram): I beg to lay on the Table a copy of the Indian Telegraph (Eighth Amendment) Rules, 1962 published in Notification No. S.O. 2158 dated the 14th July, 1962, under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885. [*Placed in Library, see No.* LT-328/62]

REPORT OF SCHOOL HEALTH COMMITTEE

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju): On behalf of Dr. Sushila Nayar, I beg to lay on the Table a copy of Report of the School Health Committee (Part I). [*Placed in Library, See* No. LT-320/62.]

12.26 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FIFTH REPORT

Shri Krishnamoorthy Rao (Shimoga): I beg to present the Fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.26¼ hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FOURTH REPORT

Shri Rane (Buldana): I beg to move:

> "That this House agrees with the Fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 14th August, 1962."

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): According to the Order Paper, we are going to take up a new motion at 3 p.m. The time allotted for the discussion on railway accidents is, I am told, five hours. So, I would like to know whether the discussion on that would continue for the whole day or will be postponed to some other day.

Mr. Speaker: He should raise it after we have adopted the motion.

The question is:

> "That this House agrees with the Fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 14th August, 1962."

The motion was adopted.

Shri S. M. Banerjee: According to the Order Paper for today, we will now take up further consideration of the Eleventh Report of the UPSC. At 3 p.m. we are going to take up the Report of the Commissioner for Linguistic Minorities. I am told that five hours have been allotted for the discussion on railway accidents. Does it mean that it will be continued tomorrow or some other day?

Mr. Speaker: It will be continued and it will be given the full time allotted to it.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): We have accepted the allotment of five hours for the discussion on railway accidents. Since we are at present discussing the report of the UPSC and as we have to take up the Report of the Commisioner for Linguistic Minorities at 3 p.m. there will be hardly one and a half hours for the discussion on railway accidents today. In this connection I may submit that the discussion of the Report of the Commissioner for Linguistic Minorities is on a motion by a private Member, notice for which was given during the last session. Since then, the third Report of the Commissioner has been laid on the Table. I suggest that we may take up the two reports for discussion together later on.